तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 05/2021 बउनवान प्रवीणकुमार बनाम नवलाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

आदेश

दिनांक 21.03.2025

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी।
2. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री करनाराम चौधरी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 332/4 वर्तमान खसरा संख्या 436/332 रकबा 64.17 बीघा मौजा दलानाडा, पटवार मण्डल नागड़दा तहसील शिव के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया गया जो दिनांक 03.11.2007 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 100/2003 पेश की गई। श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2008 को पारित की गई तथा स्थाई निषेधाज्ञा से उत्तरदातागण को पाबंद किया गया। अपीलाधीन आराजी राणाराम द्वारा मोहनीदेवी पत्नी हुकमाराम को बेचान किया एवं मोहनी देवी द्वारा प्रार्थी को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। वर्तमान में प्रार्थी राणाराम के स्थान पर हितबद्ध पक्षकार है। वह वैध अधिकारी है। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2008 की पालना राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील विचाराधीन रहने से पूर्व में नहीं की जा सकी। माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई थी जो दिनांक 18.02.2021 को खारिज होकर निर्णीत होने से निर्णय व डिक्री की पालना करने हेतु उक्त आवेदन अंदर मियाद पेश हैं। उत्तरदातागण श्रीमान न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है और अनाधिकृत रूप से दखलंदाजी करने को आमादा है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–RRT 2017(2) Page 1119, RLW(1) Page 661

विप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। इजराय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। आवेदन क्षेत्राधिकार से बाहर है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार आवेदन पेश नहीं किया गया। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के वक्त प्रार्थी अपीलाधीन आराजी का खातेदार नहीं था। अतः हस्तगत आवेदन सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2008 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील संख्या 2008/4539 को बाद सुनवाई खारिज की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2008 आज भी प्रभाव में हैं। अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाता है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2008 की पालना करने हेतु तहसीलदार शिव को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 21.03.2025 को सुनाया गया।

21/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर